



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082023-247995
CG-DL-E-10082023-247995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3423]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2023/श्रावण 19, 1945

No. 3423]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2023/SHRAVANA 19, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2023

का.आ. 3577(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, संख्यांक का.आ. 4361(अ), तारीख 19 सितंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 5 में क्र.सं.-10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

" 10क. श्री कुमुद रंजन आचार्य,
प्लॉट सं.1958/4,
चिंतामानीश्वर मन्दिर के पास,
सत्या आर्ता विहार अपार्टमेंट के सामने,
बुद्धेश्वरी, भुवनेश्वर-751006

सदस्य;"।

[फा. सं. आईए 3-1/3/2022-आईए.III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4361 (अ), तारीख 19 सितंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2023

S.O. 3577(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* number S.O. 4361(E), dated the 19th September, 2022, namely:-

In the said notification, in paragraph 5, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“10A. Shri Kumud Ranjan Acharya, Member;”
Plot No. 1958/4, Near Chintamaniswar temple,
infront of Satya Arta Vihar Apartment,
Budheswari, Bhubaneswar-751006.

[F. No. IA3-1/3/2022-IA.III]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4361(E), dated the 19th September, 2022.